रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012020-215780
CG-DL-E-30012020-215780

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2020/माघ 1, 1941
No. 39] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2020/MAGHA 1, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 41(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 466 के साथ पठित धारा 418 और धारा 469 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक, अन्यथा संदर्भ में अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकरण" से केंद्रीय सरकार अथवा प्राधिकरण अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अभिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की अधिसूचना द्वारा नियुक्तियों को करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं;

(ग) "अधिकरण" से धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से अधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जो नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में कहा गया है।

3. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों के साथ सलंग्न अनुसूची 1 के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

4. **आरंभिक गठन.**—उक्त अनुसूची-1 के स्तंभ 1 में दर्शाए गए पद का अभ्यर्थी जो कंपनी विधि बोर्ड के विघटन होने के समय और उस तारीख से अधिकरण का कर्मचारी/अधिकारी बनकर नियमित आधार पर ऐसा पद धारित किए हुए है, को इन नियमों के उपबंधों के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त किया गया माना जाएगा और उक्त घोषणा से पूर्व उक्त पद पर उसके द्वारा की गई सेवा को पेंशन, उपदान और अन्य ऐसे फायदों के लिए अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रयोजन के लिए परिगणित किया जाएगा।

5. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों संख्या, उनका वर्गीकरण, संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची-I के स्तंभ (2) से (4 में यथा-निर्दिष्ट होंगे।

6. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य मामले अनुसूची-I के स्तंभ (5) से (13) में यथा-निर्दिष्ट होंगे।

7. **नियुक्ति.**—अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, बशर्ते, सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 अथवा इससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी।

8. **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया.**—अधिकरण अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन द्वारा अधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार, पब्लिक सैक्टर उपक्रमों, अधिकरणों और अधिकरणों द्वारा यथा-निर्धारित अन्य संगठनों में पर्याप्त अनुभव रखने वाली मान्यता प्राप्त वृत्तिक अभिकरण के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित करेगा।

9. **प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया.**—अधिकरण रोजगार समाचार में प्रकाशन सहित व्यापक रूप से विज्ञापन के माध्यम से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। अलग-अलग पदों के लिए अनुसूची-I में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर चयन किया जाएगा।

10. **प्रतिनियुक्ति के लिए नियुक्ति पर कर्मचारियों का समामेलन.**—इन नियमों के उपबंधों में अधिकथित किसी बात के न होते हुए, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त व्यक्ति, जो इन नियमों में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं तथा जो विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाएंगे, समामेलन के लिए उनके विकल्प का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की शर्त के अध्यधीन अलग-अलग ग्रेड में समामेलन के लिए पात्र होंगे।

(2) ऐसा समामेलन इस शर्त के अध्यधीन भी होगा कि उनका मूल विभागों अथवा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण को अधिकरण में उनके समामलेन पर कोई आपत्ति नहीं है।

(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की ज्येष्ठता का निर्धारण संबंधित पद में उनके समामेलन की तारीख से होगा।

11. **सेवा की शर्तें.**—(1) अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और अन्य सेवा शर्तों के मामले में सेवा शर्तों को केंद्रीय सरकार के तद्नुरूपी वेतनमान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उस समय लागू ऐसे नियमों और विनियमनों के अनुसार नियमित किया जाएगा।

(2) भविष्य निधि योजना, सामूहिक बीमा अथवा कोई अन्य बीमा स्कीम, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्त फायदे से संबंधित मामले में, अधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर रहे अधिकारी और कर्मचारी अपने मूल मंत्रालय अथवा विभाग अथवा संघटन में उन पर लागू संगत नियमों के अनुसार प्रशासित होते रहेंगे।

(3) अधिकरण अधिकरण उनके वेतन से ऐसी योजनाओं के अंशदान की कटौती करके तत्काल संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग अथवा संगठन को भेजता रहेगा और विलंब से भेजी गई राशि पर ब्याज की किसी क्षति को अधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल संगठन अथवा इन नियमों के साथ संलग्नक अनुसूची-II में यथा-निर्दिष्ट उनकी पात्रता के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प होगा।

12. **आवास.**—अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के तद्नुरूपी वेतनमान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा:

परंतु उन्हें साधारण पूल के रिहायशी आवास के लिए पात्र घोषित किए जाने और उन्हें आबंटित ऐसे सरकारी आवास को अधिग्रहीत करने की स्थिति में मकान किराया भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

13. **अनुशासनात्मक कार्यवाहियां.**—अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और विनियमनों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के अध्यधीन होंगे।

14. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है या विवाह की संविदा की है, या

(ii) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

अधिकरण के किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह उस व्यक्ति को इन नियमों के किसी व्यक्ति को प्रवर्तन से छूट दी जा सकेगी।

15. **सेवा की अन्य शर्तें.**—अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें जिनके लिए इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपाबंध अथवा अपर्याप्त उपाबंध नहीं है, को केंद्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर समय समय पर लागू इन नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

16. **शिथिलनीय की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए आदेश द्वारा अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से और लेखबद्ध करके वहां उसके लिए कारण हैं, उसी उपबंध को किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

17. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए अनुबंध करना अपेक्षित है।

IndiaCode

अनुसूची-I

[नियम 3, 5, 6 और 9 देखें]

(1)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सचिव	*01*(2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	स्तर-14 (144200 – 218200 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

IndiaCode

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा समामेलन द्वारा भर्ती की दशा में वह श्रेणी जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा समामेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों अथवा कानूनी संगठनों के वे अधिकारी,- (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में सदृश पद नियमित आधार पर धारित किए हुए हैं; अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-13 क के ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-13 के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों :	**चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण - अध्यक्ष; 2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है) - सदस्य ; और 3. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामनिर्देशिती (अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं) – सदस्य।	लागू नहीं

(i) सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस, स्थापना, कार्मिक और प्रशासनिक मामलों में अनुभव अनिवार्य है: वांछनीय : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। **टिप्पण 1** : इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व केंद्रीय सरकार के उसी संगठन अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने की तारीख से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर में की गई सेवा माना जाएगा।		

IndiaCode

(2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. रजिस्ट्रार	*01*(2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	स्तर 14-(144200 – 218200 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों अथवा कानूनी संगठनों अथवा राज्य/उच्चतर न्यायिक सेवा के वे अधिकारी,- (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में सदृश पद नियमित आधार पर धारित किए हुए हैं; अथवा	**चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :** 1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण - अध्यक्ष; 2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, एनसीएलटी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है)- सदस्य ; और 3. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामनिर्देशिती (अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं) – सदस्य।	लागू नहीं

(ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-13 क के ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-13 के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। (ii) कार्मिक और प्रशासनिक मामलों में अनुभव। **टिप्पण 1** : इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व केंद्रीय सरकार के उसी संगठन अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने की तारीख से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर में की गई सेवा मानी जाएगी।		

IndiaCode

(3)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. संयुक्त रजिस्ट्रार	*07*(2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	स्तर-13 (123100-215900 रुपये)	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 में उप-रजिस्ट्रार पांच वर्ष नियमित सेवा की हो **टिप्पण 1** : जहां कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके साथ-साथ उनके वरिष्ठ अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उसकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक और पात्रता सेवा के आधे अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने की तारीख से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरण अथवा कानूनी संगठनों अथवा राज्य/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी,- (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में सदृश पद नियमित आधार पर धारित किए हुए हैं; अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-12 के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-11 के ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :** 1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण - अध्यक्ष; 2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, एनसीएलटी द्वारा नामनिर्देशित किया जाना है) - सदस्य; और 3. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामनिर्देशिती (अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं) – सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

(ख) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री: (ii) कार्मिक और प्रशासनिक मामलों में अनुभव। **टिप्पण 1** : भर्ती ग्रेड में वे विभागीय अधिकारी जो भर्ती की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4** : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पूर्व या उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने की तारीख से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा।		

IndiaCode

(4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वित्तीय सलाहकार	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं	स्तर-13 (रु. 123100-215900)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप-रजिस्ट्रार	11 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	स्तर-12 (रु 78800-209200)	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में ऐसा सहायक रजिस्ट्रार पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1**: जहां कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा। बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम नहीं है, और उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ-साथ आगामी उच्चतर वर्ग के लिए प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 01 जनवरी, 2016 पूर्व अथवा उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई है, द्वारा किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की है, को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर में दी गई सेवा की हुई मानी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारी – (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-11 में किसी पद अथवा उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य, (ख) प्रशासनिक अथवा स्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** (1) अधिकरण का अध्यक्ष (अथवा अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) - अध्यक्ष (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामनिर्देशिती (संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं

Instacode

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग वाह्य कैडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4**: प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई है, द्वारा किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की है, को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में उत्तरवर्ती स्तर में दी गई सेवा की हुई मानी जाएगी।		

(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सहायक रजिस्ट्रार	12*(2020)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	स्तर-11 (रु 67700-208700)	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति के मामले में दो वर्ष	वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में ऐसा कोर्ट ऑफिसर जिसने छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा। बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम नहीं है, और उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ-साथ अगले उच्चतर वर्ग के लिए प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** (1) अधिकरण का अध्यक्ष (अथवा अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) - अध्यक्ष (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामनिर्देशिती (संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की परिगणना के प्रयोजन के लिए, 01 जनवरी, 2016 पूर्व अथवा उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई है, द्वारा किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की है, को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में उत्तरवर्ती स्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विधि की डिग्री हो – (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के समतुल्य वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-9 और 10 में कोई पद अथवा श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या, (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-8 में कोई पद अथवा उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो: समतुल्य अथवा; (iv) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स स्तर में स्तर-7 के पद में उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) प्रशासनिक अथवा स्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव। **टिप्पण 1**: पोषक वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति/ आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई है, द्वारा किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की है, को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में उत्तरवर्ती स्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी।		

IndiaCode

(7)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. क्रमादेशक	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	स्तर-9 (रु 53100-167800)	अचयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ग्रेड में ऐसा सहायक क्रमादेशक जिसने ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा। बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम नहीं है, और उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ-साथ आगामी उच्चतर वर्ग के लिए प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पण 2**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की परिगणना के प्रयोजन के लिए, 01 जनवरी, 2016 पूर्व अथवा उस तारीख से सातवां केंद्रीय वेतन आयोग सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई है, द्वारा किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की है, को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में उत्तरवर्ती स्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान प्रोद्योगिकी	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** (1) अधिकरण का अध्यक्ष (अथवा अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) – अध्यक्ष (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामनिर्देशिती (संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

या सूचना प्रोद्योगिकी का स्नातक या कंप्यूटर अनुप्रयोग का स्नातकोत्तर या समतुल्य उपाधि– (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-8 में कोई पद अथवा उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, समतुल्य, (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-7 में कोई पद अथवा उस वर्ग में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, समतुल्य **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से सातवां केंद्रीय वेतन आयोग सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई है, द्वारा किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की है, को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में उत्तरवर्ती स्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी।		

(8)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. लेखा अधिकारी	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	स्तर-10 (रु 56100-177500) या स्तर-9 (रु. 53100-167800)	लागू नहीं	लागू नहीं

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सिविल लेखा सेवा से।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. न्यायालय अधिकारी	21*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	स्तर-8 (रु. 47600-151100)	गैर-चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	ज्येष्ठता के आधार पर 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में ऐसा ज्येष्ठ विधि सहायक जिसने दो वर्ष की नियमित की हो; अथवा (ii) विधि की डिग्री के साथ सहायक और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। 50:50 के अनुपात में, प्रथम रिक्ति ज्येष्ठ विधिक सहायक के प्रवर्ग से और इसके पश्चात् बारी-बारी से भरी जाएगी: परंतु यदि इसमें उक्त प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में विचार करने के अधिकारियों में से कोई अधिकारी उपलब्ध न हो अथवा प्रोन्नति के लिए ठीक नहीं पाया गया हो, वह रिक्ति भावी चयन पर समायोजन के अध्यधीन किंतु पहले से नियुक्त व्यक्ति(यों) की ज्येष्ठता को बिना पक्षपात के जैसा कि ऊपर बारी-बारी से अन्य श्रेणी से भरी जा सकती है। **टिप्पण 1:** जहां कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा। बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम नहीं है, और उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ-	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी**: (1) अधिकरण का अध्यक्ष (अथवा अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) - अध्यक्ष (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामनिर्देशिती (उप सचिव/निदेशक के स्तर से नीचे न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

साथ आगामी उच्चतर वर्ग के लिए प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख को सातवां केंद्रीय वेतन आयोग सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई है, द्वारा किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की है, को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में उत्तरवर्ती स्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अधिमानत: विधि की डिग्री हो – (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में कोई पद अथवा श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो समतुल्य, (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-6 में कोई पद उस वर्ग में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो, समतुल्य (ख) प्रशासनिक अथवा स्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, 01 जनवरी, 2016 पूर्व अथवा उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई है, द्वारा किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की है, को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में उत्तरवर्ती स्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी।		

IndiaCode

(10)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. निजी सचिव	27*((2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	स्तर-8 (रु. 47600-151100)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 50% प्रतिनियुक्ति /अमामेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-II/निजी सहायक जिन्होंने छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1**: जहां कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा। बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम नहीं है, और उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की परिगणना के प्रयोजन के लिए, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई है, द्वारा किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की है, को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में उत्तरवर्ती स्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारी जिनके पास प्रक्रिया नियमों के अनुरूप कौशल है अर्थात् श्रुतलेख 110 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी) अनुलिपिकरण।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** (1) अधिकरण का अध्यक्ष (अथवा अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) - अध्यक्ष (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नामनिर्देशिती (उप सचिव/ निदेशक के स्तर से नीचे न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

कंप्यूटर पर 55 शब्द प्रति मिनट टंकण; - (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में किसी पद में उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; समतुल्य; या (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में कोई पद अथवा उस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो, समतुल्य। **टिप्पण 1**: पोषक वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई है, द्वारा किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा की है, को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में उत्तरवर्ती स्तर में दी गई सेवा की हुई मानी जाएगी।		

IndiaCode

(11)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. ज्येष्ठ विधिक सहायक	24* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ कनिष्ठ विधिक सहायक। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्तस में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों या सांविधिक संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि हो – (i) नियमित आधार पर सदृश धारण करता हो, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में कोई पद अथवा उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ समतुल्य पद धारण करता हो; या (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 में कोई पद अथवा उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ समतुल्य पद धारण करता हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नत्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का अध्यक्ष (अथवा अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) – अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव/ निदेशक के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

(12)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी	10*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु 44900-142400)	लागू नहीं होता।	18 और 30 वर्ष के बीच आयु **टिप्पण 1**: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुपालन में पांच वर्ष तक सरकारी सेवक के लिए शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2:** आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि या पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उपाधि (ii) किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन ऐसे अधिकारी जो सीधी भर्ती के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या न्यायालयों या अधिकरणों में कार्यरत कर्मचारी जिनके पास स्तंभ 7 के अंतर्गत निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हो; (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में कोई पद धारण किया हो अथवा उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के समतुल्य किया हो, **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।	**समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए और चयन समिति प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का सदस्य (अथवा सभापति द्वारा नामनिर्देशिती) - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव के स्तर से नीचे न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

(13)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.सहायक प्रोग्रामर	03*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु 44900-142400)	लागू नहीं होता।	18 और 30 वर्ष के बीच आयु **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुपालन में पांच वर्ष तक सरकारी सेवक के लिए शिथिल किया जा सकता है।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक या कंप्यूटर साइंस प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर या समतुल्य उपाधि	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**विभागीय समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का अध्यक्ष (अथवा अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) – अध्यक्ष; (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं होता।

(14)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. कनिष्ठ विधि सहायक	29*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु 35,400-112400)	लागू नहीं होता।	18 और 30 वर्ष के बीच आयु **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुपालन में पांच वर्ष तक सरकारी सेवक के लिए शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2:** आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और

					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक और कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान होना आवश्यक है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष।	100% सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का सदस्य (अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव/अपर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) और - सदस्य; (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं होता।

(15)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. सहायक	32*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु 35400-112400)	लागू नहीं होता।	18 और 30 वर्ष के बीच आयु **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुपालन में पांच वर्ष तक सरकारी सेवक के लिए शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2:** आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक जिसमें विधि से स्नातक करने वाले को अधिमान्य दिया जाएगा और कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान होना चाहिए।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50% सीधा भर्ती द्वारा (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

IndianCode

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में 10 वर्षों की नियमित सेवा वाले रिकॉर्ड सहायक या उच्च श्रेणी लिपिक 50:50 के अनुपात में होंगे। प्रथम रिक्ति उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग से भरा जाएगा और तत्पश्चात् चक्रानुक्रम द्वारा। परन्तु कि यदि इसमें उक्त श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में विचारणीय अधिकारियों में से कोई अधिकारी उपलब्ध न हो अथवा पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया हो, वह रिक्ति भावी चयन/चयनों पर समायोजन के अध्यधीन किंतु पहले से नियुक्त व्यक्ति(यों) की ज्येष्ठता को बिना पक्षपात के चक्रानुक्रम से अन्य श्रेणी से भरी जा सकती है। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्रति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्रति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।	**विभागीय पुष्टि समिति, विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे**: (1) अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, (उप सचिव/निदेशक के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

प्रतिनियुक्ति/आमेलन केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जो– (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पदधारक, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद धारण करता हो अथवा, उस वर्ग में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद धारण करता हो अथवा, उस वर्ग में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा (ख) कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान होना। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नत्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4**: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक		

IndiaCode

पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

(16)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. आशुलिपिक ग्रेड II/वैयक्तिक सहायक	14*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु 35,400-112400)	लागू नहीं होता।	18 और 30 वर्ष के बीच आयु **टिप्पण 1**: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुपालन में पांच वर्ष तक सरकारी सेवक के लिए शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2:** आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेख:10 मिनट@ 100 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी) प्रतिलेखन: कंप्यूटर पर 50 शब्द प्रति मिनट	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

IndiaCode

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में 10 वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1**: टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्रति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्रति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्तस में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों आशुलिपिक के रूप में के अधीन ऐसे कार्यरत अधिकारी जो इस प्रकार से कौशल मानक रखते हों अर्थात् श्रुतुलेख @ 100 शब्द प्रति मिनट (अग्रेजी)। प्रतिलेखन कम्प्यूटर पर 50 शब्द प्रति मिनट (क)(i) नियमित आधार पर सदृश धारण करते हों, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद में उस वर्ग में छह वर्ष की नियमित सेवा किया हो, (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में कोई पद अथवा उस वर्ग में दस वर्ष की नियमित सेवा किया हों, **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,	**पुष्टि के लिए समिति, विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति/पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव/निदेशक के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का सचिव – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नत्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(17)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. ज्येष्ठ लेखाकार	12*((2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) या स्तर—5 (रु. 29200-92300)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सिविल लेखा सेवा से

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(18)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. आशुलिपिक श्रेणी-III	15*((2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश और अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारी के लिए पांच वर्ष की शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2:** आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण मानक: श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी) प्रतिलेखन-कम्प्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	लिखित परीक्षा तथा अंग्रेजी आशुलिपि के स्पीड कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा जिसमें न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों के अधीन कार्यरत पदधारी जिनके पास के स्तम्भ (7) के अनुरूप कौशल मानक परीक्षण रखता हो; (i) नियमित आधार पर सदृश पदधारक हो, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।	**विभागीय समिति (पुष्टि और चयन समिति के लिए प्रतिनियुक्ति) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का सचिव - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) – सदस्य	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(19)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. रोकड़िया	01*((2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों के अधीन कार्यरत पदधारी; (i) नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो, अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में	**चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का सचिव - अध्यक्ष (2) सचिव कर नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव के स्तर से नीचे न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) – सदस्य	लागू नहीं होता।

स्तर-2 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(20)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. अभिलेख सहायक	17*((2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 50% सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
सीमित विभागीय परीक्षा निम्न श्रेणी लिपिक या समतुल्य जो पद पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 2 में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **प्रोन्नति** सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 में निम्न श्रेणी लिपिक में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	**विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का सचिव - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) – सदस्य	लागू नहीं होता।

जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों या सांविधिक संगठनों के अधीन कार्यरत पदधारी (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; अथवा (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य उस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा के की हो; या **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नत्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी		

IndiaCode

उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

(21)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. उच्च श्रेणी लिपिक	14*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25,500-81100)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 50% सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा

(11)	(12)	(13)
सीमित विभागीय परीक्षा। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में कम से कम 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ निम्न श्रेणी लिपिक अथवा समतुल्य कोई पद धारण करता हो। **प्रोन्नति:** निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्रति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का सचिव - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव/अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का उप-रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) – सदस्य	लागू नहीं होता।

संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों या सांविधिक संगठनों के अधीन कार्यरत पदधारी जो; (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; अथवा (ii) इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में कोई पद धारण करता हो। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नत्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षा वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर		

IndiaCode

आधारित विस्तारित तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

(22)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. निम्न श्रेणी लिपिक	19*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु 19,900-63200)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक सरकारी सेवक के लिए शिथिल कर सकता है। टिप्पण 2: आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा उसके समतुल्य योग्यता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति [प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशनों के औसत पर 10500 कुंजी डिप्रेशन प्रति घंटा के लिए 35 शब्द प्रति मिनट	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) 50% लिखित परीक्षा और विहित गति पर कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 25% अधिकरण में समूह 'ग' कर्मचारियों जिनकी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति के साथ 12वीं कक्षा अथवा समतुल्य योग्यता हो, के बीच से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु 50 वर्ष) है। **टिप्पण**: यदि परीक्षा में खंड (ii) के अधीन अर्हता प्राप्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक अथवा ऐसे कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की ऐसी अतिरिक्त संख्या पर उत्तरवर्ती

			वर्तनी में आने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा ताकि किसी पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हक कर्मचारी अथवा किसी बाद की परीक्षा में जो अर्हता प्राप्त करते हैं, से पूर्व विचार किया जा सके। (iii) 25% समूह 'ग' कर्मचारियों जिनकी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति के साथ तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
स्तम्भ 10 में यथाउल्लिखित।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का सचिव – अध्यक्ष; (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का उप सचिव (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) – सदस्य	लागू नहीं होता।

(23)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23. स्टॉफ कार ड्राईवर	5*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु 19,900-63200)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक सरकारी सेवक के लिए शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2:** आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: 1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. मोटर कार के लिए एक वैध ड्राईविंग लाइसेंसधारक 3. मोटर क्रियाविधि का ज्ञान और मोटर वाहन में छोटी खराबियों को सुधारने में सक्षम हो। 4. कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार की ड्राईविंग का अनुभव। वांचनीय: होम गार्ड अथवा सिविल वालंटियर के रूप में 3 वर्ष की सेवा	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न होने पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और मोटर कार ड्राईविंग में कौशल परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों अथवा न्यायालयों या अधिकरणों के सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित डिस्पैच राइडर/मल्टी बहुकार्य कर्मचारी वृन्द के बीच से जो स्तम्भ सं. 7 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव रखते हो।	**विभागीय समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का सचिव – अध्यक्ष; (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

(24)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24. बहुकार्य कर्मचारी वृन्द	42*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु 18000-56900)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1**: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक सरकारी सेवक के लिए शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2:** आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**विभागीय समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:** (1) अधिकरण का सचिव – अध्यक्ष; (2) सचिव द्वारा नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) – सदस्य	लागू नहीं होता।

अनुसूची-II

[नियम 11(4) देखें]

चिकित्सा सुविधाएं

1. बाह्य चिकित्सा खर्चें:-

(1) अधिकारी और कर्मचारी स्वयं और परिवार के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

व्याख्या: इस खंड के प्रयोजनार्थ, "परिवार" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में समनुदेशित किया गया है।

(2) वर्ष के दौरान वाह्य चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय अथवा वर्ष की 1 जनवरी को (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) एक माह के वेतन तक सीमित होगी जो भी कम हो।

(3) दावा डॉक्टर की दवा पर्ची डॉक्टर द्वारा उपचार तथा दवाओं की खरीद के लिए मूल केश मीमो अथवा बिलों द्वारा समर्थित होना चाहिए और वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि की प्रतिपूर्ति अथवा पदोन्नति 01 जनवरी को, की सीमा को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, वार्षिक हकदारी आनुपातिक आधार पर सीमित होगी।

(5) वाह्य उपचार अधिकरण द्वारा रखे गए पैनल से प्राधिकृत चिकित्सकों से लिया जाएगा।

2. अंतरंग उपचार :

(1) अंतरंग उपचार के प्रयोजनार्थ, अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए पात्र होंगे, और इस प्रयोजनार्थ, अस्पताल कक्ष, नर्सिंग सुविधा सहित उपचार की लागत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों जो समतुल्य वेतन आहरित कर रहे हैं, के समान केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार होगी।

(2) उक्त खंड (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अस्पताल वहीं होंगे जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

(3) अधिकृत अस्पतालों में उपचार केवल आपतकालीन स्थिति में अधिकृत चिकित्सा परिचारकों की सलाह पर लिया जा सकता है।

[फा. सं. ए-12018/02/2017-प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2020

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 418 and section 469 read with section 466 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Company Law Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Appointing Authority" means the Central Government or the Authority to whom the powers are delegated by the Central Government for making appointments of officers and employees in the Tribunal by a notification;

(c) " Tribunal" means the National Company Law Tribunal constituted under section 408;

(d) "President" means the President of the Tribunal.

(e) "Schedule" means the Schedules annexed to these rules.

(2) All the words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of Schedule-I annexed to these rules.

4. **Initial Constitution.—**The incumbent of the post shown in the column 1 of the said Schedule-I, who is holding such post on regular basis by becoming employee/officer of the Tribunal on and from dissolution of Company Law Board shall deemed to have been duly appointed under the Provisions of these rules and service rendered by him/her in said post before the said commencement shall be taken into account for the purpose of rights and privileges as to pension, gratuity and other like benefits.

5. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of post of officers and employees, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Schedule-I.

6. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of Schedule-I.

7. **Appointment.—**Appointment of Officers and other employees of Tribunal shall be made by Appointing Authority, provided that the appointments to the posts in Level-11 or above in Pay Matrix of Seventh Central Pay Commission shall be made with the approval of Central Government.

8. **Procedure for appointment by direct recruitment.—**Tribunal shall invite applications by advertisement on all India basis, for the posts of officers and employees in the Tribunal and shall process for making appointments by the Appointing Authority, through a recognized professional agency having adequate experience in making recruitment in Central Government, Public Sector Undertakings, Tribunals and the like as decided by the Tribunal.

9. **Procedure for appointment on deputation basis.—**The Tribunal shall invite applications for the posts through wide advertisement including publishing invariably in Employment News. Selection shall be made on the basis of recommendation of the Selection Committee prescribed in Schedule-I for the respective posts.

10. **Absorption of employees on appointment on deputation.—**(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons appointed on deputation basis, who fulfill the qualifications and experience laid down in these rules and who are considered suitable by

IndiaCode

Departmental Promotion Committee, shall be eligible for absorption, in respective grade subject to the condition that such persons exercise their option for the absorption.

(2) Such absorption shall also be subject to the condition that their parent departments or cadre controlling authorities do not have any objection to their being absorbed in the Tribunal.

(3) Seniority of officer or employees mentioned in sub rule (1) shall be determined with reference to the date of their absorption to the post concerned.

11. **Conditions of service.—**(1) The conditions of service of the officers and employees of the Tribunal in matters of pay, allowances, leave and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees of the corresponding scale of pay of the Central Government.

(2) In matters relating to Provident Fund Scheme, Group Insurance or any other Insurance Scheme, age of superannuation, pension and retirement benefits, the officers and employees of the Tribunal working on deputation basis shall continue to be governed by the relevant rules as applicable to them in their parent Ministry or department or organisation.

(3) The Tribunal shall recover contributions toward such schemes from their salary and remit the amount immediately to the lending Ministry or department or organisation and any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Tribunal.

(4) The officers and employees of the Tribunal shall have the option to avail medical facilities as per their entitlement in the parent organisation or as specified in Schedule-II annexed to these rules.

12. **Accommodation.—**The officers and employees of the Tribunal shall have the option of claiming House Rent Allowance in accordance with the rate prescribed by the Central Government as applicable to officers and employees of the corresponding scales of pay of the Central Government.

Provided that they shall not be eligible for House Rent Allowance in case they are declared eligible for general pool residential accommodation and occupies such a Government accommodation allotted to them.

13. **Disciplinary Proceedings.—**The officers and employees of the Tribunal shall be subject to disciplinary proceedings as per rules and regulations applicable to officers and employees of the corresponding level in pay matrix of the Central Government.

14. **Disqualification.—**No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Tribunal:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. **Other conditions of service.—**Other conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal, for which no specific provision or insufficient provision has been provided in these rules, shall be regulated in accordance with such rules and orders, as are, from time to time, applicable to officers and employees of the corresponding level in pay matrix of the Central Government stationed at those places.

16. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the President of the Tribunal by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, economically weaker sections, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the rules and orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule-I

[*see* Rules 3, 5, 6 and 9]

(1)

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Secretary.	*01* (2020) Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-14 (Rs. 144200 – 218200).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation : Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in level-13A in pay matrix of the Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years regular service in the Grade; or (iii) a post in Level-13 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with three years regular service in the grade; and (b) possessing the following educational qualification and experience:- **Essential:** (i) Experience in Information Technology and e-Governance, establishment, personnel and	**Selection Committee (for considering deputation) consisting of:** 1. President, National Company Law Tribunal - Chairperson; 2. A Member National Company Law Tribunal (to be nominated by the President) - Member; and 3. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Additional Secretary) -Member.	Not applicable.

administrative matters is compulsory. **Desirable:** (i) degree in law from a recognised University. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Registrar	*01* (2020) Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-14 (Rs. 144200 – 218200)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

(11)	(12)	(13)
Deputation : Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations or State/Higher Judicial Service; (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in level-13A in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years regular service in the Grade; or	**Selection Committee (for deputation) consisting of:** 1. President, National Company Law Tribunal -Chairperson; 2. A Member National Company Law Tribunal (to be nominated by the President, NCLT) - Member; and 3. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Additional Secretary) -Member.	Not applicable.

(iii) a post in level-13 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with three years regular service in the grade; and (b) Possessing the following essential educational qualification and experience:- (i) degree in law from a recognised University; and (ii) Experience in personnel and administrative matters. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(3)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Joint Registrar	07* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-13 (Rs. 123100 – 215900)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion on the basis of seniority cum merit failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Registrar with five years regular service in level-12 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation:-** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations or State/Higher Judicial Service;- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in level-12 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with five years regular service; or (iii) a post in level-11 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with ten years regular service. (b) (i) Degree in law from a recognised University; and (ii) Experience in personnel and administrative matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of:** 1. President, National Company Law Tribunal -Chairperson; 2. A Member National Company Law Tribunal (to be nominated by the President, NCLT) - Member; and 3. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Joint Secretary) -Member.	Not applicable.

IndiaCode

exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Financial Adviser	01* (2020) *subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level 13 (Rs. 123100-215900)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Central Staffing Scheme

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

IndiaCode

(5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Deputy Registrar	11* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-12 (Rs. 78800 – 209200)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion on the basis of seniority-cum-merit failing which by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Registrar with five years regular service in the level-11 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of:** (1) President of the Tribunal (or a Member of the Tribunal as his nominee) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Joint Secretary) - Member; and (3) Secretary of the Tribunal – Member.	Not applicable.

qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation/Absorption:** Officers working under Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations a degree in law from a recognised University. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level 11 as per pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in the grade, (b) Having experience in administrative or establishment or court matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an		

IndiaCode

officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Assistant Registrar	12* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-11 (Rs. 67700 – 208700)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years in case of promotion	By promotion on the basis of seniority-cum-merit failing which by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: Court Officer with six years regular service in the level-8 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation/Absorption:** Officers working under Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation and confirmation) consisting of:** (1) President of the Tribunal (or a Member of the Tribunal as his nominee)– Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Joint Secretary) - Member; and (3) Secretary of the Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

possessing degree in law from a recognised University;- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level 9 and 10 as per pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in the grade; or (iii) a post in level 8 as per pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years` regular service in the grade,  (iv) a post in level 7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with seven years` regular service in the grade, (b) having experience in administrative or establishment or Court matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(7)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Programmer	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-9 (Rs. 53100 – 167800)	Non-Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion on the basis of seniority-cum-merit failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Programmer with three years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation/Absorption:** Officers working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations possessing degree in Bachelor of Engineering or Bachelor of technology in Computer Science or Information Technology or Master of Computer Applications or equivalent degree from a recognised institute: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-8 in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years' regular service in the grade. (iii) a post in level-7 in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with three years' regular service in the grade. **Note 1**: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and selection Committee (for considering deputation) consisting of:** (1) President of the Tribunal (or a Member of the Tribunal as his nominee) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Director/Deputy Secretary) - Member; (3) Secretary of the Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(8)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Accounts Officer	01* (2020) *subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level 10 (Rs. 56100 – 177500) or Level 9 (Rs. 53100 – 167800)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	From Civil Accounts Service

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Court Officer	21* (2020) *subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-8 (Rs. 47600 – 151100)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by promotion on the basis of seniority failing which by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Senior Legal Assistant with two years regular service in level-7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission; or (ii) Assistant with degree in law and six years regular service in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. In the ratio of 50:50. The first vacancy shall be filled from the category of Senior Legal Assistant and thereafter by rotation. Provided that if therein be no officer available or found fit for promotion out of the officers falling in consideration zone in any one of the above said categories, the vacancy may be filled from the other category by rotation as above subject to adjustment at the future selection but without prejudice to the seniority of the person(s) already appointed. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation/Absorption:** Officers working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals/	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of:** (1) President of the Tribunal (or a Member of the Tribunal as his nominee) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director) - Member; and (3) Secretary of the Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

possessing preferably a degree in law from a recognised University;– (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level 7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years' regular service in the grade; or (iii) a post in Level 6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years` regular service in the grade, (b) having experience in administrative or establishment or court matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(10)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Private Secretary	27* (2020) * subject to variation dependent on workload	Not applicable.	Level-8 (Rs. 47600 – 151100)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	50% by promotion failing which by deputation. 50% by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade-II/Personal Assistant with six years' regular service in level 6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation/Absorption:** Officers working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals possessing skill norms i.e. dictation @ 110WPM (English). Transcription on computers fifty five word per minute;- (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years' regular service in the grade; or (iii) a post in Level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years' regular service in the grade. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of: -** (1) President of the Tribunal (or a Member of the Tribunal as his nominee) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director) - Member; and (3) Secretary of the Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4**: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(11)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Senior Legal Assistant	24* (2020) *subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-7 (Rs. 44900 – 142400)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by promotion failing which by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Legal Assistant in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with five years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of:-** (1) President of the Tribunal (or a Member of the Tribunal as his nominee) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director) - Member; and (3) Secretary of the Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation/Absorption:** Officers working in Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals possessing degree in law from a recognised University and: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in the grade; or (iii) a post in Level-5 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with eight years' regular service in the grade; **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised		

IndiaCode

pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(12)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Assistant Library Information Officer	10* (2020) *subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level 7 (Rs. 44900 – 142400)	Not applicable	Between 18 and 30 years of age. **Note 1:** Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute or Bachelor Degree in any discipline from a recognised university with Diploma in Library Science; (ii) Two years professional experience in a library.	Not applicable	Two years for direct recruitment	By Direct recruitment failing which by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: Officials working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7); (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) a post in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in that grade; or **Note 1**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.	**Committee (for considering confirmation and Selection Committee for deputation) consisting of:** 1. A Member of the Tribunal (to be nominated by the President) –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary) - Member; 3. Secretary of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(13)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. Assistant Programmer	03* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable	Level-7 (Rs. 44900 – 142400)	Not applicable	Between 18 and 30 years of age. Note: Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor of Engineering or Bachelor of technology in Computer Science or Information Technology or Master of Computer Applications or equivalent degree from a recognised institute.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1) President of the Tribunal (or a Member of the Tribunal as his nominee) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director) - Member; and (3) Secretary of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(14)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Junior Legal Assistant	29* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-6 (Rs. 35400 – 112400)	Not applicable	Between 18 and 30 years of age. **Note 1**: Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Graduate in law from a recognised university and having knowledge of computer operation.	Not applicable	Two years	100% by direct recruitment

IndiaCode

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. A Member of the Tribunal (to be nominated by the President) – Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Under Secretary) - Member; and 3. Secretary of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(15)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. Assistant.	32* (2020) * subject to variation dependent upon workload.	Not applicable.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.	Between 18 and 30 years of age. Note 1: Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep

(7)	(8)	(9)	(10)
Degree in any discipline preferably in law from a recognised university and having knowledge of computer operation.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) 50% by direct recruitment. (ii) 50% by promotion failing which by deputation/ absorption.

IndiaCode

(11)	(12)	(13)
Promotion: Record Assistant or Upper Division Clerk with ten years' regular service in level-4 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission in the ratio of 50:50. The first vacancy shall be filled from the category of Upper Division Clerk and thereafter by rotation: Provided that if therein be no officer available or found fit for promotion out of the officers falling in consideration zone in any one of the above said categories, the vacancy may be filled up from the other category by rotation as above subject to adjustment at the future selection/selections but without prejudice to the seniority of the person(s) already appointed. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation/Absorption:** Officials working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-5 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six	**Committee for confirmation, Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of:** (1) A Member of the Tribunal (to be nominated by the President) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director) - Member; and (3) Secretary of the Tribunal –Member.	Not applicable.

IndiaCode

years' regular service in the grade; or (iii) a post in level-4 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with ten years' regular service in the grade. (b) having knowledge of computer operation. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(16)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. Stenographer Grade-II/Personal Assistant.	14* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.	Between 18 and 30 years of age. **Note 1:** Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam,

					Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass or equivalent from recognised board. (ii) Skill Test Norms: **Dictation:** 10 minutes @ 100 w.p.m. (English). Transcription: 50 w.p.m. on computer.	Not applicable	Two years for direct recruitment	(1) 50% by direct recruitment. (2) 50% by promotion failing which by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade-III with ten years' regular service in level-4 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation/Absorption:** Officers working as Stenographers or Personal Assistants under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals possessing skill norms i.e. dictation @100WPM (English). Transcription 50 WPM on computer; (i) holding analogous post on regular basis; or	**Committee for Confirmation, Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Selection Committee (for deputation/ Confirmation) consisting of:** (1) A Member of the Tribunal (to be nominated by the President) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Under Secretary) - Member; and (3) Secretary of the Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

(ii) a post in level-5 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years' regular service in the grade (iii) a post in level-4 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with ten years' regular service in the grade **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(17)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. Senior Accountant.	12* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable	Level-6 (Rs. 35400 – 112400) or Level 5 (Rs. 29200 – 92300).	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	From Civil Accounts Service.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable.

(18)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. Stenographer Grade-III.	15* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-4 (Rs. 25500 – 81100).	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. **Note 1:** Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

					Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or university; and (ii) Skill Test Norms: Dictation: 10 minutes @ 80 w.p.m. (English). Transcription: 40 w.p.m. on computer.	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	By direct recruitment on the basis of written examination and skill test in english shorthand at the prescribed speed failing which by deputation.

IndiaCode

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officials working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals, possessing skill norms test as per column (7); (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-3 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in that grade; or (iii) a post in level-2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with eight years' regular service in that grade. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer	**Departmental Committee (for confirmation and Selection Committee for deputation) consisting of:** (1) Secretary of the Tribunal –Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary) - Member; and (3) Deputy Registrar of the Tribunal (as nominated by the President) – Member.	Not applicable.

prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(19)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. Cashier	01* (2020) * Subject to variation dependent on workload.	Not applicable	Level 4 (Rs. 25500 – 81100).	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: Officials working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals; (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) a post in level-3 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in that grade and having successfully completed cash and accounts training; or (iii) a post in level-2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with eight years' regular service in that grade and having successfully completed cash and accounts training. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.	**Selection Committee (for deputation) consisting of:** 1. Secretary of the Tribunal –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary) –Member; and 3. Deputy Registrar of the Tribunal (to be nominated by the President) –Member.	Not applicable.

(20)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. Record Assistant	17* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable	Level-4 (Rs. 25500 – 81100)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 50% by limited Departmental Examination. (ii) 50% by promotion failing which by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Limited Departmental Examination. Lower Division Clerk or equivalent holding a post with at least five years regular service in level-2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Promotion:** Lower Division Clerk with eight years' regular service in level-2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Deputation: Officials working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations; (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) holding a post in level -2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with eight years regular service in the grade. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and selection committee (for deputation) consisting of:** 1. Secretary of the Tribunal –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary) –Member; and 3. Deputy Registrar of the Tribunal (to be nominated by the President)–Member.	Not applicable.

IndiaCode

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(21)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Upper Division Clerk	14* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable	Level-4 (Rs. 25500-81100)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 50% by Promotion failing which by deputation. (ii)50% by limited departmental Examination

(11)	(12)	(13)
Limited Department Examination. Lower Division Clerk or equivalent holding a post with at least five years regular service in level-2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Promotion:** Lower Division Clerk with Eight years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and selection committee (for deputation) consisting of:** 1. Secretary of the Tribunal –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Under Secretary) –Member; and 3. Deputy Registrar of the Tribunal (to be nominated by the President) –Member.	Not applicable.

IndiaCode

probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation:** Officials working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations; (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) holding a post in level-2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with eight years regular service in the grade. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has		

IndiaCode

been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(22)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. Lower Division Clerk	19* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable	Level 2 (Rs. 19900 – 63200)	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. **Note 1:** Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University; (ii) Typing speed of 35 w.p.m. in English on computer. [35 w.p.m. corresponds to 10500 KDPH on an average of 5 key depressions for each word]	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	(i) 50% by direct recruitment on the basis of written examination and skill test in English Typing on computer at the prescribed speed; (ii) 25% by seniority cum fitness from amongst the group 'C' staff in the Tribunal who have three years regular service level-1 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission and possess 12th class pass or equivalent qualification alongwith typing speed of 35 w.p.m. in English on computer on the basis of limited departmental examination. The maximum age for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes); **Note:** If more or such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination or considered

			before those who qualify at a later examination. (iii) 25% by promotion on seniority-cum-fitness basis from group 'C' employees who have three years regular service in level-1 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission alongwith typing speed of 35 w.p.m. in English on computer.

(11)	(12)	(13)
As stated in column 10	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1) Secretary of the Tribunal –Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary) –Member; and (3) Deputy Registrar of the Tribunal - (to be nominated by the President) –Member.	Not applicable.

(23)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23. Staff Car Driver	5* (2020) *subject to variation dependant upon workload.	Not applicable	Level-2 (Rs. 19900 – 63200)	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. **Note 1:** Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. A pass in the 10^{th} standard. 2. Possessing a valid driving licence for motor cars. 3. Knowledge of motor mechanism and be capable of removing minor defects in motor vehicle.	Not applicable.	Two years for Direct Recruitment.	Deputation/absorption failing which by Direct Recruitment on the basis of objective type test and skill test in driving motor car.

IndiaCode

4. Experience of driving of a motor car for at least three years. **Desirable:** 3 years' service as Home Guard or Civil Volunteer.			

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Despatch Rider/ Multi-Tasking Staff in level-1 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission employees of the Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals who fulfil the qualification and experience mentioned in column no. 7.	**Department Committee (for considering confirmation and selection for deputation) consisting of:** 1. Secretary of the Tribunal –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary) –Member; 3. Deputy Registrar of the Tribunal (to be nominated by the President) –Member.	Not applicable.

(24)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24. Multi-Tasking Staff	42* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable	Level-1 (Rs. 18000– 56900)	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. **Note 1:** Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation pass or equivalent from a recognised board.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

IndiaCode

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Departmental Committee (for considering confirmation) consisting of;-** 1. Secretary of the Tribunal –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary) –Member; 3. Deputy Registrar of the Tribunal (to be nominated by the President) – Member.	Not applicable.

SCHEDULE-II

[See rule 11 (4)]

MEDICAL FACILITIES

1. Outdoor Medical expenses-

(1) Officers and employees shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation.– For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less.

(3) The claim should be supported by doctor's prescription and the original cash memos or bills for treatment by the doctor and purchase of medicines and the release of increment or promotion during the year shall not affect the reimbursement limit as on the 1st January.

(4) For the officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be taken from the authorised medical attendants from the panel to be maintained by the Tribunal.

2. Indoor treatment.-

(1) For the purpose of indoor treatment, the officers and employees of the Tribunal shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Tribunal in this behalf, and for this purpose, the cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.

(2) The authorised hospitals for the purpose of clause (1) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(3) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the authorised medical attendants only in emergency.

[F. No. A-12018/02/2017-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 42(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 466 के साथ पठित धारा 418 की उप-धारा (3) और धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकरण" से केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं;

(ग) "अपील अधिकरण" से धारा 410 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से अपील अधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में, यथास्थिति, उनके हैं।

3. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची I के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

4. **आरंभिक गठन.**—उक्त अनुसूची-I के स्तंभ 1 में दर्शाए गए पद का ऐसा पदधारी जो कंपनी विधि बोर्ड/प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के भंग से ही अपील अधिकरण का कर्मचारी/अधिकारी, जो नियमित आधार पर ऐसा पद धारण किया हुआ है, को इन नियमों के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा और उक्त प्रारंभ से पूर्व उक्त पद पर उसके द्वारा की गई सेवा को पेंशन, उपदान और अन्य ऐसे फायदों के लिए अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोजन के लिए गणना में किया जाएगा।

5. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो अनुसूची-I के स्तंभ (2) से (4) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

6. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची-I के स्तंभ (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

7. **नियुक्ति.**—अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, नियुक्ति/नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, परंतु, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 या इससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी।

8. **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया.**—अपील अधिकरण अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन द्वारा अपील अधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, अधिकरणों और अपील अधिकरण द्वारा यथा-विहित अन्य संगठनों में पर्याप्त अनुभव रखने वाली मान्यता प्राप्त व्यावसायिक एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित करेगा।

9. **प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया.**—अपील अधिकरण रोजगार समाचार में प्रकाशन सहित व्यापक रूप से विज्ञापन के माध्यम से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। अलग-अलग पदों के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर चयन किया जाएगा।

IndiaCode

10. **प्रतिनियुक्ति के लिए नियुक्ति पर कर्मचारियों का आमेलन.**—इन नियमों के उपबंधों में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव पूरे करते हैं तथा जो विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाएंगे, आमेलन के लिए उनके विकल्प का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की शर्त के अध्यधीन अलग-अलग ग्रेड में आमेलन के लिए पात्र होंगे।

(2) ऐसा आमेलन इस शर्त के अध्यधीन भी होगा कि उनका मूल विभाग या संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण को अपील अधिकरण में उनके आमेलन पर कोई आपत्ति नहीं है।

(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों या कर्मचारियों की ज्येष्ठता का संबंधित पद में उनके आमेलन की तारीख के प्रतिनिर्देश से अवधारित होगा।

11. **सेवा की शर्तें.**—(1) अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों के मामले में सेवा की शर्तों को केंद्रीय सरकार के तद्नुरूपी वेतनमान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उस समय लागू ऐसे नियमों और विनियमनों के अनुसार नियमित किया जाएगा।

(2) भविष्य निधि स्कीम, सामूहिक बीमा या कोई अन्य बीमा स्कीम, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे से संबंधित मामले में, अधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों अपने मूल मंत्रालय या विभाग या संघटन में उन पर लागू सुसंगत नियमों के अनुसार प्रशासित होते रहेंगे।

(3) अपील अधिकरण उनके वेतन से ऐसी स्कीमों के अंशदान की कटौती करके तत्काल संबंधित मंत्रालय या विभाग या संगठन को भेजता रहेगा और विलंब से भेजी गई राशि पर ब्याज की किसी क्षति को अपील अधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल संगठन या इन नियमों के उपाबद्ध के साथ संलग्नक अनुसूची-II में यथा-विनिर्दिष्ट उनकी पात्रता के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प होगा।

12. **आवास.**—अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के तद्नुरूपी वेतनमान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा।

परंतु उन्हें सामान्य पूल के रिहायशी आवास के लिए पात्र घोषित किए जाने और उन्हें आबंटित ऐसे सरकारी आवास को अधिभोग करने की स्थिति में मकान किराया भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

13. **अनुशासनिक कार्रवाइयां.**—अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और विनियमनों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाइयों के अध्यधीन होंगे।

14. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ii) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, अपील अधिकरण में किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

15. **सेवा की अन्य शर्तें.**—अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जिनके लिए इन नियमों में कोई विशिष्ट उपबंध या पर्याप्त उपबंध नहीं है, को केंद्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर समय समय पर लागू इन नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

16. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा अपील अधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

17. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची-I

[नियम 4, 5, और 6 देखें]

(1)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रजिस्ट्रार	*01*(2020) कार्यभार में विभिन्नता के अध्यधीन	लागू नहीं होता	स्तर-14 (रु. 144200 - 218200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति -** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति की दशा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों अथवा कानूनी संगठनों अथवा राज्य/उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या	**चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** 1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण - अध्यक्ष; 2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, एनसीएलएटी द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा) - सदस्य ; और	लागू नहीं होता

(ii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 क या समतुल्य श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 या समतुल्य श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हता और अनुभव हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। (ii) कार्मिक और प्रशासनिक मामलों में अनुभव। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष के अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।	3. नामनिर्देशिती सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (जो अपर सचिव की पंक्ति से कम का न हो – सदस्य।	

(2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. संयुक्त रजिस्ट्रार	*01*(2020) कार्यभार में विभिन्नता के अध्यधीन	लागू नहीं होता	स्तर-13 (रु.123100- 215900)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति, न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

IndiaCode

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे उप-रजिस्ट्रार जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर-12 में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंद में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे अधिक से अथवा दो वर्ष, इनमें, जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की संगणना करने के प्रयोजन किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों अथवा कानूनी संगठनों अथवा राज्य/उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी,- (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 या समतुल्य श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति) के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** 1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण - अध्यक्ष; 2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष, एनसीएलएटी द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा - सदस्य ; और 3. नामनिर्देशिती सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से कम का न हो – सदस्य।	लागू नहीं होता

IndiaCode

(ख) (i) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री: (ii) कार्मिक और प्रशासनिक मामलों में अनुभव। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार को उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(3)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वित्तीय सलाहकार	01*(2020) *कार्यभार में विभिन्नता के अध्यधीन	लागू नहीं होता।	स्तर-13 (123100-215900 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. उप-रजिस्ट्रार	01*(2020)* कार्यभार में विभिन्नता के अध्यधीन	लागू नहीं होता	स्तर-12 (रु. 78800-209200)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) ऐसे सहायक रजिस्ट्रार जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। (ii) ऐसे निजी सचिव जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। 67:33 के अनुपात में पहली रिक्ति सहायक रजिस्ट्रार की श्रेणी से भरी जाएगी परंतु यदि उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी श्रेणी में विचार के क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों में से प्रोन्नति के लिए कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है या उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो रिक्ति को भावी चयन/चयनों के समायोजन के अध्यधीन किंतु पहले से नियुक्ति व्यक्ति(यों) की ज्येष्ठता में बिना किसी पूर्वाग्रह के रोटेशन द्वारा अन्य श्रेणी में से भरा जा सकता है। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंद में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे अधिक से अथवा दो वर्ष, इनमें, जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की संगणना करने के प्रयोजन किसी	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष (या उसके नामनिर्देशिती के रूप में अपील अधिकरण का सदस्य) - अध्यक्ष (2) नामनिर्देशिती सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – सदस्य	लागू नहीं होता

अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों या अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विधि में डिग्री हो – (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-11 या समतुल्य पद में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास प्रशासनिक या स्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक रजिस्ट्रार	2*(2020) *कार्यभार में विभिन्नता के अध्यधीन	लागू नहीं होता	स्तर-11 (रु. 67700-208700)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति की दशा में दो वर्ष	ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) ऐसे कोर्ट ऑफिसर जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में छह वर्ष नियमित सेवा की है। (ii) ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में छह वर्ष नियमित सेवा की है एवं विधि में डिग्री प्राप्त की हो। 60:40 के अनुपात में पहली रिक्ति को कोर्ट ऑफिसर की श्रेणी से भरी जाएगी। परंतु यदि उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी श्रेणी में विचार के क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों में से प्रोन्नति के लिए कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है या उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो रिक्ति को भावी चयन/चयनों के समायोजन के अध्यधीन किंतु पहले से नियुक्ति व्यक्ति(यों) की ज्येष्ठता में बिना किसी पूर्वाग्रह के रोटेशन द्वारा अन्य श्रेणी में से भरा जा सकता है। **टिप्पण : 1** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा ,अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे अधिक से अथवा दो वर्षइनमें ,, जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की संगणना करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष (या उसके नामनिर्देशिती के रूप में अपील अधिकरण का सदस्य) - अध्यक्ष (2) नामनिर्देशिती सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – सदस्य	लागू नहीं होता

जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई गई सेवा को, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों या अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विधि में डिग्री हो – (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-9 और 10 में या समतुल्य पदों में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-8 या समतुल्य पदों में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है; (iv) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स स्तर में स्तर-7 या समतुल्य में उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास प्रशासनिक या स्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव है। **टिप्पण 1: पोषक** प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. प्रधान निजी सचिव	01* *कार्यभार में विभिन्नता के अध्यधीन	लागू नहीं होता	स्तर-11 (रु. 67700-208700)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति की दशा में दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 ऐसे निजी सचिव जिन्हेंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण : 1** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंद में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा ,अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे अधिक से अथवा दो वर्ष , इनमें, जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की संगणना करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई गई सेवा को, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों या अधिकरणों में कार्यरत ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः विधि में डिग्री है। (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष (या उसके नामनिर्देशिती के रूप में अपील अधिकरण का सदस्य) - अध्यक्ष (2) नामनिर्दिष्ट सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (जो उप सचिव/निदेशक की श्रेणी से कम का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – सदस्य	लागू नहीं होता

(ii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-9 और 10 या समतुल्य श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-8 या समतुल्य श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है; या (iv) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-7 या समतुल्य श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है; (v) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-6 या समतुल्य श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास प्रशासनिक या स्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

(7)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. क्रमानुदेशक	01*(2020) *कार्यभार में विभिन्नता के अध्यधीन	लागू नहीं होता.	स्तर-9 (53100-167800 रु)	अचयन	लागू नहीं होता।

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	ज्येष्ठता सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे सहायक क्रमानुदेशक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण : 1** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंद में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा ,अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे अधिक से अथवा दो वर्ष , इनमें, जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण : 2** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की संगणना करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई गई सेवा को, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों या अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजनियरिंग में बैचलर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर या कंप्यूटर एप्लिकेशन में स्नातकोत्तर या समतुल्य डिग्री– (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-8 या समतुल्य श्रेणी में वर्ग में दो वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर-7 या समतुल्य श्रेणी में वर्ग में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष (या उसके नामनिर्देशिती के रूप में अपील अधिकरण का सदस्य) - अध्यक्ष (2) नामनिर्दिष्ट सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (जो उप सचिव/निदेशक की श्रेणी से कम का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – सदस्य	लागू नहीं होता

IndiaCode

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(8)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. लेखा अधिकारी	01*(2020) *कार्यभार में विभिन्नता के अध्यधीन	लागू नहीं होता।	स्तर-10 (रु. 56100-177500)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सिविल लेखा सेवा से।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. कोर्ट ऑफिसर	21*(2020) *कार्यभार में विभिन्नता के अध्यधीन	लागू नहीं होता.	स्तर-8 (47600-151100 रु)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	66.66% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 33.33 % प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे ज्येष्ठ विधि सहायक जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में दो वर्ष नियमित सेवा की है; **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंद में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे अधिक से अथवा दो वर्ष, इनमें, जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की संगणना करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई गई सेवा को, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में तद्नुरूपी स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों या अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः विधि में डिग्री हो – (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या (ii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में या समतुल्य में उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है; (iii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में या समतुल्य में उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है;	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने) और चयन समिति (चयन और प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष (अथवा उसके नामनिर्देशिती के रूप में अपील अधिकरण का कोई सदस्य) - अध्यक्ष (2) नामनिर्देशिती सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (जो उप सचिव/निदेशक की श्रेणी से कम का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

(ख) जिनके पास प्रशासनिक या स्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4**: प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(10)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. प्रशासनिक अधिकारी	02*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-8 (47600-151100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में ऐसे सहायक जिन्होंने छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष (या अपील अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) – अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों के अधीन कार्यरत अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में अधिमान्यता प्राप्त उपाधि हो – (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (ii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में कोई या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (iii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो, (ख) जिनके पास प्रशासनिक या स्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	(2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव या निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का रजिस्टार – सदस्य	

IndiaCode

हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण4 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 ,जनवरी , 2016से पहले या उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया हैनियमित आधार , सिवाय उस दशा ,पर की गई सेवा को जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ,के ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारणतया वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर सके लिए वेतन विस्तारित होगा जि मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

(11)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. निजी सचिव	02*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-8 (47600-151100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-III जिन्होंने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों या अधिकरणों के अधीन कार्यरत अधिकारी जिनके पास प्रक्रिया नियमों के अनुरूप कौशल है अर्थात् 110 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी) डिक्टेशन। **कंप्यूटर पर 55 शब्द प्रति मिनट टंकण; -** (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए है, या (ii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में या कोई समतुल्य पद में उस उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष (या अपील अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) – अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव या निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का रजिस्टार – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

(iii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में या पद कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारणतया वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(12)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. ज्येष्ठ विधिक सहायक	02*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में ऐसे कनिष्क विधिक सहायक जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों अथवा अधिकरणों के अधीन कार्यरत अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि हो – (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (ii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में या पद समतुल्य पद में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में या पद समतुल्य पद में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष (या अपील अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) – अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव या निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; (3) अपील अधिकरण का रजिस्टार – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारणतया वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(13)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. सहायक प्रोग्रामर	03*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	स्तर-7 (44900-142400 रु)	लागू नहीं होता	आयु 18 और 30 वर्ष के बीच **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान, प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर या समतुल्य डिग्री	लागू नहीं होता	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**विभागीय समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी होंगे:** (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष (या अपील अधिकरण का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशिती के रूप में) – अध्यक्ष; (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव/निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – सदस्य	लागू नहीं होता।

(14)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. कनिष्ठ विधि सहायक	03*(2020) *कार्यभार आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (35,400-112400 रू)	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 30 वर्ष के बीच टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक और कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान हो।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	100% सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (1) अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामित) - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उप सचिव/ अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – सदस्य	लागू नहीं होता।

(15)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. सहायक	04*(2020) *कार्यभार आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (35400-112400 रू)	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 30 वर्ष के बीच टिप्पण 1:केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल

IndiaCode

					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में वरीयता सहित किसी विद्या में स्नातक और कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान हो।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	(i) 50%प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 50% सीधी भर्ती/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में 10 वर्षों की नियमित सेवा वाले रिकॉर्ड सहायक या उच्च श्रेणी लिपिक 50:50 के अनुपात में। प्रथम रिक्ति उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग से भरा जाएगा और तत्पश्चात् रोटेशन द्वारा। परंतु कि यदि इसमें उक्त श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में विचारणीय अधिकारियों में से कोई अधिकारी उपलब्ध न हो याप्रोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया हो, वह रिक्ति भावी चयन/चयनों पर समायोजन के अध्यधीन किंतु पहले से नियुक्त व्यक्ति(यों) की ज्येष्ठता को बिना पक्षपात के जैसा कि ऊपर बारी-बारी से अन्य श्रेणी से भरी जा सकती है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए और पुष्टि के लिए चयन समिति) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :** (1) अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कार्य मंत्रालय (उप सचिव/निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों या अधिकरणों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी– (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनप्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारणतया वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(16)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. पुस्तकालय और सूचना सहायक।	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (35400-112400 रू.)	लागू नहीं होता।	18 और 30 वर्ष के बीच आयु टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(9)	(8)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री या पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विद्या में स्नातक उपाधि (ii) किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या न्यायालयों या अधिकरणों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।	**विभागीय चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए और पुष्टि के लिए समिति) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :** (1) अपील अधिकरण का सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती, कार्य मंत्रालय (उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनप्राप्त करने की अंतिमतारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारणतया वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(17)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. ज्येष्ठ लेखाकार	12*((2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या स्तर—5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सिविल लेखा सेवा से

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(18)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. आशुलिपिक श्रेणी-III	15*((2020 *कार्यभार के	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी

	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ii) कौशल परीक्षा मानक: श्रुतलेख: 10 मिनट में 80 शब्द (अंग्रेजी) प्रतिलेखन-कम्प्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	लिखित परीक्षा तथा अंग्रेजी/हिंदी में आशुलिपि में विहित गति कौशल दक्षता के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा जिसमें न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या न्यायालयों या अधिकरणों के अधीन कार्यरत अधिकारी जिनके पास स्तम्भ (7) के अनुरूप कौशल परीक्षा मानक है; (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (ii) जिन्होंने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; (iii) जिन्होंने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय समिति (पुष्टि के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) से मिलकर बनेगी:** (1) अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; (2) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनप्राप्त करने की अंतिमतारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तरा किया गया है जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित, सिवाय उस दशा के नियमित आधार पर की गई सेवा को ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारणतया वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझा जाएगी।		

IndiaCode

(19)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. कैशियर (रोकडिया)	01*((2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत पदधारी; (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और	**चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; (2) सचिव, का नामनिर्देशिती कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) – सदस्य	लागू नहीं होता।

(iii) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 या किसी समतुल्य पद में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तरा किया गया है जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित, सिवाय उस दशा के नियमित आधार पर की गई सेवा को ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारणतया वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझा जाएगी।		

IndiaCode

(20)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. अभिलेख सहायक	02*((2020 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-4 (25500-81100 रु)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृद जिन्होंने कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण सहित उस श्रेणी में 11 वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी: (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (ii) जिन्होंने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में या कोई समतुल्य पर में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; (iii) जिन्होंने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; (2) सचिव, मंत्रालय नामनिर्देशिती (अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशिती) – सदस्य।	लागू नहीं होता

IndiaCode

हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारणतया वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(21)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. उच्च श्रेणी लिपिक	01*(2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-4 (25,500-81100 रू.)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे बहुकार्य कर्मचारिबृंद जिन्होंने कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण सहित उस श्रेणी में 11 वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी: (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (ii) जिन्होंने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में या कोई समतुल्य पर में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; (iii) जिन्होंने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में या कोई समतुल्य पद में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार - अध्यक्ष (2) सचिव का नामनिर्देशिती कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशिती) – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारणतया वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(22)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. बहु कार्यकारी वृंद	12*(2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-1 (18000-56900 रु)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से10 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**विभागीय समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):-** (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार – अध्यक्ष; (2) सचिव, नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला) – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(23)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23. पुस्तकालय परिचायक	01*(2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-1 (18000-56900 रु)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य तथा किसी भी प्रकार के पुस्तकालय में गत पांच वर्षों के दौरान क्म से कम 1 वर्ष का अनुभव हो	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों या कानूनी संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जिनके पास न्यूनतम मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य हो, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो तथा किसी भी प्रकार के पुस्तकालय में गत पांच वर्षों के दौरान कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारणतया वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।	**विभागीय चयन समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए) और समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** (1) अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार - अध्यक्ष (2) सचिव, नामनिर्देशिती, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) - सदस्य; और (3) अपील अधिकरण का उप रजिस्ट्रार (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

अनुसूची-II

[नियम 11(4) देखें]

चिकित्सा सुविधाएं

1. बाह्य चिकित्सा खर्चें:- (1) अधिकारी और कर्मचारी स्वयं और परिवार के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

व्याख्या: इस खंड के प्रयोजनार्थ, "परिवार" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की 1 जनवरी को (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) एक माह के वेतन तक सीमित होगी जो भी कम हो।

(3) दावा डॉक्टर की दवा पर्ची डॉक्टर द्वारा उपचार तथा दवाओं की खरीद के लिए मूल केश मीमो या बिलों द्वारा समर्थित होना चाहिए और वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि की प्रतिपूर्ति या प्रोन्नति 01 जनवरी की सीमा को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, वार्षिक हकदारी आनुपातिक आधार पर सीमित होगी।

(5) बाह्य उपचार अपील अधिकरण द्वारा रखे गए पैनल से प्राधिकृत चिकित्सकों से लिया जाएगा।

2. अंतरंग उपचार.-

(1) अंतरंग उपचार के प्रयोजनार्थ, अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के ले पात्र होंगे, और इस प्रयोजनार्थ, अस्पताल कक्ष, नर्सिंग सुविधा सहित उपचार की लागत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों जो समतुल्य वेतन आहरित कर रहे हैं, के समान केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार होगी।

(2) उक्त खंड (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अस्पताल वहीं होंगे जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

(3) प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राधिकृत चिकित्सकों की सलाह पर केवल आपातकालीन पस्थितियों में ही लिया जा सकता है।

[फा. सं. ए. प्रशा-2017/02/12018-IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2020

G.S.R. 42**(E)**.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 418 and section 469 read with section 466 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the National Company Law Appellate Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

b) "Appointing Authority" means the Central Government or the Authority to whom the powers are delegated by the Central Government for making appointments of officers and employees in the Appellate Tribunal by a notification;

c) " Appellate Tribunal" means the National Company Law Appellate Tribunal constituted under section 410;

d) "Chairperson" means the Chairperson of the Appellate Tribunal.

e) "Schedule" means the Schedules annexed to these rules.

(2) All the words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of Schedule-I annexed to these rules.

4. Initial Constitution.—The incumbent of the post shown in the column 1 of the said Schedule-I, who is holding such post on regular basis by becoming employee/officer of the Appellate Tribunal on and from dissolution of Company Law Board /Competition Appellate Tribunal shall deemed to have been duly appointed under the Provisions of these rules and service rendered by him/her in said post before the said commencement shall be taken into account for the purpose of rights and privileges as to pension, gratuity and other like benefits.

5. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post of officers and employees, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Schedule-I.

6. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of Schedule-I.

7. Appointment.—Appointment of Officers and other employees of Appellate Tribunal shall be made by Appointing Authority, provided that the appointments to the posts in Level 11 or above in Pay Matrix of Seventh Central Pay Commission shall be made with the approval of Central Government.

8. Procedure for appointment by direct recruitment.—Appellate Tribunal shall invite applications by advertisement on all India basis, for the posts of officers and employees in the Appellate Tribunal and shall process for making appointments by the Appointing Authority, through a recognized professional agency having adequate experience in making recruitment in Central Government, Public Sector Undertakings, Tribunals and the like as decided by the Appellate Tribunal.

9. Procedure for appointment on deputation basis.—The Appellate Tribunal shall invite applications for the posts through wide advertisement including publishing invariably in Employment News. Selection shall be made on the basis of recommendation of the Selection Committee prescribed in Schedule-I for the respective posts.

10. Absorption of employees on appointment on deputation.—**(1)** Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons appointed on deputation basis, who fulfill the qualifications and experience laid down in these rules and who are considered suitable by Departmental Promotion Committee, shall be eligible for absorption, in respective grade subject to the condition that such persons exercise their option for the absorption.

(2) Such absorption shall also be subject to the condition that their parent departments or cadre controlling authorities do not have any objection to their being absorbed in the Appellate Tribunal.

(3) Seniority of officer or employees mentioned in sub rule (1) shall be determined with reference to the date of their absorption to the post concerned.

11. Conditions of service.—**(1)** The conditions of service of the officers and employees of the Appellate Tribunal in matters of pay, allowances, leave and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees of the corresponding scale of pay of the Central Government.

(2) In matters relating to Provident Fund Scheme, Group Insurance or any other Insurance Scheme, age of superannuation, pension and retirement benefits, the officers and employees of the Tribunal working on deputation basis shall continue to be governed by the relevant rules as applicable to them in their parent Ministry or department or organisation.

(3) The Appellate Tribunal shall recover contributions toward such schemes from their salary and remit the amount immediately to the lending Ministry or department or organisation and any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Appellate Tribunal.

(4) The officers and employees of the Tribunal shall have the option to avail medical facilities as per their entitlement in the parent organisation or as specified in Schedule-II annexed to these rules.

12. Accommodation.—The officers and employees of the Appellate Tribunal shall have the option of claiming House Rent Allowance in accordance with the rate prescribed by the Central Government as applicable to officers and employees of the corresponding scales of pay of the Central Government.

Provided that they shall not be eligible for House Rent Allowance in case they are declared eligible for general pool residential accommodation and occupies such a Government accommodation allotted to them.

13. Disciplinary Proceedings.—The officers and employees of the Appellate Tribunal shall be subject to disciplinary proceedings as per rules and regulations applicable to officers and employees of the corresponding level in pay matrix of the Central Government.

14. Disqualification.—No person**,-**

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Appellate Tribunal:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. Other conditions of service.—Other conditions of service of the officers and other employees of the Appellate Tribunal, for which no specific provision or insufficient provision has been provided in these rules, shall be regulated in accordance with such rules and orders, as are, from time to time, applicable to officers and employees of the corresponding level in pay matrix of pay of the Central Government stationed at those places.

16. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the Chairperson of the Appellate Tribunal by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, economically weaker section, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the rules and orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule-I

[see Rules 4, 5, and 6]

(1)

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar	*01 (2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-14 (Rs. 144200 – 218200)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation : Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations or State/Higher Judicial Service :- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in level-13A in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years regular service in the grade; or (iii) a post in level-13 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with three years regular service in the grade; and (b) possessing the following essential educational qualification and experience:- (i) degree in law from a recognised University; and (ii) experience in personnel and administrative matters. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to	**Selection Committee (for considering deputation) consisting of:** 1. Chairperson, National Company Law Appellate Tribunal -Chairperson; 2. A Member National Company Law Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson, NCLAT)- Member; and 3. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Additional Secretary) -Member.	Not applicable.

01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Joint Registrar	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-13 (123100 – 215900)	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion on the basis of seniority cum merit failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Registrar with five years regular service in level-12 in Pay Matrix of Seventh Central Pay Commission. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation:-** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or	Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of: 1. Chairperson, National Company Law Appellate Tribunal - Chairperson 2. A Member National Company Law Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson, NCLAT) - Member 3. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Joint Secretary) -Member.	Not applicable.

Courts or Tribunals or statutory organisations or State/Higher Judicial Service: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) a post in level-12 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with five years regular service, or (iii) a post in level-11 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with ten years regular service. (b) (i) degree in law from a recognised University; and (ii) experience in personnel and administrative matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(3)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Financial Adviser	01* (2020) *subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-13 (Rs. 123100 – 215900)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable.	Central Staffing Scheme	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Deputy Registrar	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level 12 (Rs. 78800 – 209200)	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion on the basis of seniority-cum-merit failing which by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Assistant Registrar with five years regular service in the level-11 in Pay Matrix of Seventh Central Pay Commission. (ii) Principal Private Secretary with five years regular service in the level-11 in Pay Matrix of Seventh Central Pay Commission. In the ratio of 67:33. The first vacancy shall be filled from the category of Assistant Registrar. Provided that if therein be no officer available or found fit for promotion out of the officers falling in consideration zone in any one of the above said categories, the vacancy may be filled from the other category by rotation as above subject to adjustment at the future selection/selections but without prejudice to the seniority of the person(s) already appointed. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of:** (1) Chairperson of the Appellate Tribunal (or a Member of the Appellate Tribunal as his nominee) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Joint Secretary) - Member; (3) Registrar of the Appellate ribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation/Absorption:** Officers working under Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations a degree in law from a recognised University: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level -11 as per pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in the grade, (b) having experience in administrative or establishment or court matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Assistant Registrar	2* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level 11 (Rs. 67700 – 208700)	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years in case of promotion	By promotion on the basis of seniority-cum-merit failing which by deputation/ absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Court Officer with six years regular service in the level-8 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. (ii) Administrative Officer with degree in law and six years regular service in level-8 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission, In the ratio of 60:40. The first vacancy shall be filled from the category of Court Officer. Provided that if therein be no officer available or found fit for promotion out of the officers falling in consideration zone in any one of the above said categories, the vacancy may be filled from the other category by rotation as above subject to adjustment at the future selection/selections but without prejudice to the seniority of the person(s) already appointed. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. **Deputation/Absorption:** Officers working under Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals possessing degree in law from a recognised University:	**Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for confirmation and deputation) consisting of:** (1) Chairperson of the Appellate Tribunal (or a Member of the Appellate Tribunal as his nominee) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Joint Secretary) - Member; and (3) Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	Not applicable

IndiaCode

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-9 and 10 as per pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in the Grade, or (iii) a post in level-8 as per pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years` regular service in the Grade,  (iv) a post in level-7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with seven years` regular service in the Grade, (b) having experience in administrative or establishment or Court matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Principal Private Secretary.	01* *subject to variation dependent on workload	Not applicable.	Level-11 (Rs. 67700 – 208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years in case of promotion.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Private Secretary in level-8 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with six years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Deputation: Officers working under Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals possessing preferably a degree in law from a recognised university: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-9 and 10 as per pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in the grade; or (iii) a post in level-8 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with six years' service in that grade; or (iv) a post in level-7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with seven years` regular service in the grade, (iv) a post in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with ten years regular service in the grade (b) Having experience in administrative or establishment or court matters. Note 1: The departmental officers in the	Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation and confirmation) consisting of: (1) Chairperson of the Appellate Tribunal (or a Member of the Appellate Tribunal as his nominee) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary /Director) - Member; (3) Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(7)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Programmer	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-9 (Rs. 53100 - 167800).	Non-Selection.	Not Applicable.	Not Applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion on the basis of seniority-cum-merit failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Programmer with three years' regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade	Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of: (1) Chairperson of the Appellate Tribunal (or a Member of the Appellate Tribunal as his nominee)– Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Director/Deputy Secretary) - Member; and (3) Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	Not applicable.

along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Deputation/Absorption: Officers working under Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations possessing degree in Bachelor of Engineering or Bachelor of technology in Computer Science or Information Technology or Master of Computer Applications or equivalent degree from a recognised institute: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-8 in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years' regular service in the grade. (iii) a post in level-7 in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with three years' regular service in the grade. Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or		

IndiaCode

the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(8)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Accounts Officer.	01* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-10 (Rs. 56100 – 177500).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	From Civil Accounts Service.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Court Officer.	03* (2020) * subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-8 (Rs. 47600 – 151100).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	66.66% by promotion failing which by deputation. 33.33% by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Legal Assistant with two years regular service in level-7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who	Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of: (1) Chairperson of the Appellate Tribunal (or a Member of the Appellate Tribunal as his nominee)– Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director)- Member; (3) Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Deputation/Absorption: Officers working under Central or State Governments or Courts or Tribunals possessing preferably a degree in law from a recognised university: (a)(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years' regular service in the grade, or (iii) a post in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years` regular service in the grade, (b) having experience in administrative or establishment or court matters. Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(10)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Administrative Officer.	02* (2020) * subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-8 (Rs. 47600 – 151100).	Non Selection.	Not Applicable.	Not Applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation/ absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant with six years regular service in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Deputation/Absorption: Officers working under Central Government or State Governments or Courts or Tribunals possessing preferably a degree in Law from a recognised University: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years' regular service in the grade, or	Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of: (1) Chairperson of the Appellate Tribunal (or a Member of the Appellate Tribunal as his nominee)– Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director)- Member; and (3) Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

(iii) a post in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years` regular service in the grade, (b) having experience in administrative or establishment or court matters. Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(11)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Private Secretary.	02* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-8 (Rs. 47600 – 151100).	Non Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation/ absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade-III with ten years' regular service in level-4 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Deputation/Absorption: Officers working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals possessing skill norms i.e. dictation @ 110WPM (English). Transcription on computers fifty five word per minute: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years' regular service in the grade, or (iii) a post in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years' regular service in the grade. Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Departmental Promotion Committee for promotion and Selection Committee for deputation consisting of: (1) Chairperson of the Appellate Tribunal (or a Member of the Appellate Tribunal as his nominee)– Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director)- Member; and (3) Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(12)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Senior Legal Assistant	2* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-7 (Rs. 44900 – 142400).	Non Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation/ absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Legal Assistant in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with five years' regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next	Departmental Promotion Committee for promotion and Selection Committee for deputation consisting of: (1) Chairperson of the Appellate Tribunal (or a Member of the Appellate Tribunal as his nominee)– Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director)- Member; (3) Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	Not applicable

higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Deputation/Absorption: Officers working in Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals possessing degree in law from a recognised university: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-6 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in the grade; or (iii) a post in level-5 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with eight years' regular service in the grade; Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended,		

IndiaCode

shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(13)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18. Assistant Programmer.	03* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-7 (Rs. 44900 – 142400).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 30 years of age. Note: Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	Bachelor of Engineering or Bachelor of technology in Computer Science or Information Technology or Master of Computer Applications or equivalent degree from a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Chairperson of the Appellate Tribunal (or a Member of the Appellate Tribunal as his nominee)– Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director)-- Member; and (3) Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	Not applicable.

(14)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Junior Legal Assistant.	3* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 30 years of age. Note 1: Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.	Graduate in law from a recognised university and having knowledge of computer operation.

IndiaCode

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. A Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson) –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Under Secretary)- Member; and 3. Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	Not applicable.

(15)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. Assistant.	04* (2020) * subject to variation dependent upon workload.	Not applicable.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 30 years of age. Note 1: Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.	Degree in any discipline preferably in law from a recognised university and having knowledge of computer operation.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment.	(i) 50% Promotion failing which by deputation. (ii) 50% by direct recruitment/absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerk or Record Assistant with ten years' regular service in level-4 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission in the ratio of 33:67. The first vacancy shall be filled from the category of Upper Division Clerk thereafter by Record Assistant÷	Departmental promotion Committee (for considering promotion and the Selection Committee for confirmation) consisting of: (1) A Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson) – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Director)- Member; and	Not applicable.

IndiaCode

Provided that if therein be no officer available or found fit for promotion out of the officers falling in consideration zone in any one of the above said categories, the vacancy may be filled from the other category by rotation as above subject to adjustment at the future selection/selections but without prejudice to the seniority of the person(s) already appointed. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Deputation/Absorption: Officials working under Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in level-5 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years' regular service in the grade; or (iii) a post in level-4 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with ten years' regular service in the grade. (b) having knowledge of computer operation. Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists	(3) Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	

IndiaCode

shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(16)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19. Library and Information Assistant.	01* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 30 years of age. Note 1: Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.	(i) Bachelor degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute / bachelor degree in any discipline from a recognised university with diploma in Library Science; (ii) Two years professional experience in a library.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment.	By Direct Recruitment failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: Officials working under Central or State Governments or Courts or Tribunals possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7): (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) a post in level-5 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years' regular service in that grade; or (iii) a post in level-4 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with ten years' regular service in that grade; Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.	Departmental Selection Committee (for deputation) and Committee (for confirmation) consisting of: 1. A Member of the Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson) –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary)- Member; 3. Registrar of the Appellate Tribunal – Member.	Not applicable.

IndiaCode

(17)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. Senior Accountant.	02* *subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400) or Level 5 (Rs. 29200 – 92300).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	From Civil Accounts Service.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(18)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18. Stenographer Grade-III.	06* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-4 (Rs. 25500 – 81100).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 25 years of age. Note 1: Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.	(i) 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or university; and (ii) Skill Test Norms: Dictation: 10 minutes @ 80 w.p.m. (English). Transcription: 40 minutes on computer.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment.	By direct recruitment on the basis of written examination and skill test in english/hindi shorthand at the prescribed speed failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officials working under Central or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals, possessing skill norms test as per column (7): (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) a post in level-3 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in that grade; (iii) a post in level-2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with eight years' regular service in that grade; Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Committee (for confirmation) and Selection Committee (for deputation) consisting of: (1) Registrar of the Appellate Tribunal – Chairperson; (2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary)- Member; (3) Deputy Registrar of the Appellate Tribunal (as nominated by the Chairperson)– Member.	Not applicable.

IndiaCode

Note 3: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(19)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. Cashier.	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-4 (Rs. 25500 – 81100).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officials working under Central Government or State Governments or Courts or Tribunals or statutory organisations and holding: (i) analogous posts on regular basis; or (ii) a post in level-3 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in that grade and having successfully completed cash and accounts training; and (iii) a post in level-2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with eight years' regular service in that grade and having successfully completed cash and accounts training. Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years.	Selection Committee (for deputation) consisting of: 1. Registrar of the Appellate Tribunal – Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary)- Member; and 3. Deputy Registrar of the Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson) – Member.	Not applicable.

IndiaCode

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(20)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. Record Assistant	02* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-4 (Rs. 25500 – 81100).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation/ absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi-Tasking Staff with eleven years' regular service in the grade alongwith typing speed of thirty five w.p.m. in English on computer. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission.	Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of: 1.Registrar of the Appellate Tribunal –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary) - Member; and 3.Deputy Registrar of the Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson) – Member.	Not applicable.

IndiaCode

Deputation/Absorption: Officials working under Central Government or State Governments or Courts or Tribunals or statutory organisations: (i) holding analogous posts on regular basis; or ii) a post in level-3 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in that grade. (iii) a post in level-2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with eight years' regular service in that grade. Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

IndiaCode

(21)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. Upper Division Clerk.	01* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-4 (Rs. 25500 – 81100).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi-Tasking Staff with eleven years' regular service in the grade alongwith typing speed of thirty five w.p.m. in English on computer. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission. Deputation: Officials working under Central or State Governments or Courts or Tribunals or statutory organisations: (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) a post in level-3 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years' regular service in that grade. (iii) a post in level-2 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with eight years' regular service in that grade. Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay	Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of: 1. Registrar of the Appellate Tribunal – Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Deputy Secretary/Under Secretary)- Member; and 3. Deputy Registrar of the Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson) – Member.	Not applicable.

IndiaCode

structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.		

(22)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22. Multi-Tasking Staff.	12* (2020) * subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-1 (Rs. 18000 – 56900).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 25 years of age. Note 1: Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.	Matriculation pass or equivalent from a recognised board.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Committee (for considering confirmation):- 1. Registrar of the Appellate Tribunal –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary) - Member; and 3. Deputy Registrar of the Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson) – Member.	Not applicable.

(23)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23. Library Attendant.	01* (2020) *subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-1 (Rs. 18000 – 56900).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 25 years of age. Note 1: Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	Matriculation pass or equivalent from a recognised board and experience in any type of library for a minimum of one year during the last five years.

Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahual & Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment.	By direct recruitment failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: Officials working under Central Government/ State Governments/ Courts/ Tribunals/ statutory organisations having a minimum of matriculation degree or its equivalent: holding analogous posts on regular basis and worked in any type of library for a minimum of one year during the last five years. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.	Departmental Selection Committee (for deputation) and Committee (for confirmation) consisting of: 1. Registrar of the Appellate Tribunal –Chairperson; 2. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Under Secretary)- Member; and 3. Deputy Registrar of the Appellate Tribunal (to be nominated by the Chairperson) – Member.	Not applicable.

IndiaCode

Schedule-II

[See rule 11 (4)]

MEDICAL FACILITIES

1. Outdoor Medical expenses- (1) Officers and employees shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation.– For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less.

(3) The claim should be supported by doctor's prescription and the original cash memos or bills for treatment by the doctor and purchase of medicines and the release of increment or promotion during the year shall not affect the reimbursement limit as on the 1st January.

(4) For the officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be taken from the authorised medical attendants from the panel to be maintained by the Appellate Tribunal.

2. Indoor treatment.-

(1) For the purpose of indoor treatment, the officers and employees of the Appellate Tribunal shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Appellate Appellate Tribunal in this behalf, and for this purpose, the cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.

(2) The authorised hospitals for the purpose of clause (1) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(3) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the authorised medical attendants only in emergency.

[F. No. A-12018/02/2017-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.01.30 10:00:41 +05'30'